छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन-अटल नगर, रायपुर

//आदेश//

अटल नगर, दिनांक 1/07/2019

क्रमांक एफ 6-58/2016/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति की अनुशंसा अनुसार छ.ग. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा 9(1) एवं (2) के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नांकित बी.एड. (दो वर्षीय) एवं एम.एड. (दो वर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु अंतिम फीस का निर्धारण उनके नाम के सम्मुख दर्शाएं अनुसार किया जाता है:-

बी.एड. पाठ्यक्रम का अंतिम फीस निर्धारण

क्र	बी.एड. महाविद्यालयों के नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षिण किया जा रहा है।	फीस प्रति वर्ष प्रति छात्र (सम्मिलित ग्रोथ एवं डेव्लपमेंट चार्जेस एवं सभी अन्य फीस)
1	गुरूकूल इंस्टीट्यूट गरियाबंद, छ.ग.	2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021	रू. 30,970/-
2	सोनकर कॉलेज, बुंदेली, मुंगेली, छ.ग.	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	रू. 30,970/-
3	आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेड्का (पेंड्रा रोड)	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	रू. 30,970/-
4	जगरानी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, दर्राभाठा जिला जांजगीर-चांपा, छ.ग.	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	रू. 30,970/-
5	विद्यापीठ कॉलेज, मालवीय नगर, दुर्ग, छ.ग.	2019-2020, 2020-2021 एवं 2021-2022	रू. 30,970/-

.........02

क्रमांक 3425
दिनांक 11-7-19

एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु अंतिम फीस निर्धारण

क	बी.एड. महाविद्यालयों के नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का पुनरीक्षिण किया जा रहा है।	फीस प्रति वर्ष प्रति छात्र (सम्मिलित ग्रोथ एवं डेव्लपमेंट चार्जेस एवं सभी अन्य फीस)
1	आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेड्डका (पेंड्रा रोड)	2019–2020, 2020–2021 एवं 2021–2022	रू. 50,550/-

01- संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क भवन, फर्नीचर आदि के मद में वसूल नहीं कर सकेगी ।

02- संस्था छात्र से रूपये 2,000/– प्रति छात्र एकमुक्त प्रवेश के समय काशनमनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी।

03- संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के उपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

04- संस्था द्वारा ट्रांस्पोर्टेशन शुल्क, छात्रावास शुल्क एवं मेस शुल्क ''न लाभ न हानि'' (NO PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र/छात्राओं से ही लिया जाना है अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा । संस्था ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य फीस जिन–जिन मदों में ली जावेगी उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाईड तथा प्रवेश हेतु जारी किये जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित होगी । प्रॉस्पेक्टस काउंसिलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करनी होगी ।

05- विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा ।

06- समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, यदि कोई संस्था चाहे तो वह निर्धारित फीस से कम फीस ले सकती है ।

07- संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाण पत्र (जैसे 10वी, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र आदि) जमा नहीं करवाया जाना है । सत्यापन के लिए केवल उसका अवलोकन किया जा सकता है ।

.........03

08- छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था छात्र से रूपये 10/– (रूपये दस मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं दूसरे महीने से रूपये 15/– प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी ।

09- WP(C) 1707/2016 श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई छात्र काउंसिलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है एवं अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो वह काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के 05 दिन पूर्व संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करनी होगी, तभी उसकी जमा फीस नियमानुसार वापसी योग्य होगी । अन्यथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार फीस वापस नहीं की जा सकेगी ।

10- छात्र से ली जाने वाली फीस या वापस की गई राशि बैंक के माध्यम से जैसे चेक, या बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही ली या वापस की जा सकेगी ।

11- निर्धारित फीस प्रति वर्ष ली जा सकेगी । संस्था चाहे तो इसे स्वेच्छानुसार प्रत्येक तीन माह के अंतराल में सुविधानुसार ले सकती है ।

12- संबंधित संस्थाएं फीस से संबंधित जानकारी एवं स.क्र. 01 से 11 तक की जानकारियां संस्था के नोटिस बोर्ड में बड़े अक्षरों में प्रसारित करेंगे तथा संस्था अपनी वेबसाईड में भी डालेंगे तथा की गई कार्यवाही से इस समिति को सूचित करेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ0 कमांक एफ 6-58/2016/20-3 रायपुर, दिनांक 1/07/2019

प्रतिलिपिः–

(1) माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, अटल नगर, रायपुर ।

(2) विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर ।